न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 107/2004

वादीगण :-

1.पन्नालाल पुत्र नैनालाल
2.माणकचंद पुत्र मांगीलाल
3.प्रेमचंद पुत्र रंगलाल
जातियान-ओसवाल, निवासी-रास,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बुधा पुत्र पूना
2. मधुराई बेवा पूना
जाति-जाट, निवासीगण-रास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.20.08.2004

उपस्थितः- 1. श्री करणी दान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चन्द चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 04/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद गौजा-रास, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1230 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 155/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1241 रकबा 01 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1242 रकबा 01 बिस्वा किस्म ओढा, कुल किता-5 कुल रकबा 31-18 बीघा एवं खसरा नम्बर 1236 रकबा 6-07 बीघा की भूमि आई हुई हैं। नकल जमाबंदी साथ पेश की हैं। उक्त जमीन में वादीगण का 1/2 हिस्सा है। वादीगण सं. 1 से 3 ने जरिये मुख्तियार - नामा नेमीचन्द को उक्त भूमि बाबत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया हैं। इसलिए नेमीचन्द बतौर मुख्तियार के यह वाद पेश करते है । मुख्तियार नामा की नकल दावा के साथ पेश की है। उक्त भूमि में वादीगण के हिस्से में अपना कब्जा युदा बाडा वादीगण के मवेशी चारा बलीता अन्य सामान तथा खाद वगैरह डालते है। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है तथा वे वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा हैं। जबकि प्रतिवादीगण का न तो कोई कब्जा है तथा न ही कोई अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण का जानवर बांधने का बाडा अल है । वादीगण के बाडा का तथा कुए पर जाने का रास्ता का नक्शा बनाकर पेश किया जा रहा है, जो दावा का भाग माना जावे। प्रतिवादीगण बाडे के उतरी तरफ जो रास्ता कुए पर जाने का है। उसे भी बल पूर्वक बंद करने पर आमादा हैं। इस प्रकार कुए पर जाने के रास्ते को बंद कर रूकावट कर दी, तो वादीगण अपने कुए पर जाने व बाडा का उपयोग व उपभोग करने से महरूम हो जावेगे, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने को कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौका-रास में कहा कि बाडा व रास्ता में कोई दखलन्दाजी मत करो, तो उन्होने ऐलानिया कहा कि बाडे व रास्ते पर वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं, वे बाडा से वादीगण को बेदखल कर देगे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तथा रास्ता बंद कर देगें। ऐसी स्थिति में वादीगण को और से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नही है। इसलिए दावा वादीगण की और से प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश है। बिनायदावा दिनांक 17/07/2004 को प्रतिवादीगण द्वारा बाडे से वादीगण को बेदखल करने तथा रास्ता को रोकने की धमकीयां देने पर बमुकाम-रास में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है तथा दावा अन्दर में पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। वकील प्रतिवादी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पटवारी हल्का-रास से प्राप्त की गई, सा0मि0 हैं। वादीगण माफिक राजस्व रिकॉर्ड स्वयं खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा पारित करना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं हैं। लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत 188 आर0टी0एक्ट0 1955 का काबिल खारिज होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीगण माफिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं। लिहाजा प्रस्तुत वाद काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1.पन्नालाल पुत्र नैनालाल
2.माणकचंद पुत्र मांगीलाल
3.प्रेमचंद पुत्र रंगलाल
जातियान-ओसवाल, निवासी-रास,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. बुधा पुत्र पूना
2. मथुराई बेवा पूना
जाति-जाट, निवासीगण-रास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0स0:267/2013

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेशचन्द चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण माफिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं। लिहाजा प्रस्तुत वाद काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	02	-00	स्टाम्प अर्जी	01	-00
स्टाम्प वजह सबूत	03	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	08	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner